1. स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना

म.प्र. सरकार ने वचन पत्र के बिन्दु क्र. 1.25 के अंतर्गत प्रदेश के कृषकों को विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था लागू की है। यह सुविधा दिनांक 15.01.2019 से उपलब्ध कराई गई है।

2. सूरजधारा योजना

सूरजधारा योजना 100 प्रतिशत राज्य योजना है। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने के लिये 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना **सूरजधारा योजना वर्ष 2000–01 से लागू की गई है।**

कार्यक्रम का उद्देश्य– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को दलहन एवं तिलहन फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्तबीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर उत्पादकता एवं उत्पादन बढाना है।

योजना का कार्यक्षेत्र

किसानों के लिये प्रावधान–अनुदान एवं सुविधा

1. बीज अदला–बदली कार्यक्रम में 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम रूपये 1500/– की सीमा तक बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
2. बीज स्वावलंबन योजना में कृषक द्वारा धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किये जाते हैं।
3. बीज उत्पादन कार्यक्रम में शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 1 हेक्टेयर तक के लिये आधार/प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है।

3. अन्नपूर्णा योजना

अन्नपूर्णा योजना 100 प्रतिशत राज्य योजना है। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने के लिये 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना अन्नपूर्णा योजना वर्ष2000–01 से लागू की गई है।

कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खाद्यान्न फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्तबीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर उत्पादकता एवं उत्पादन बढाना है।

योजनांतर्गत किसानों के लिये प्रावधान–

1. बीज अदला–बदली कार्यक्रम में 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम रूपये 1500/– की सीमा तक बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
2. बीज स्वावलंबल योजना में कृषक द्वारा धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार /प्रमाणित बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किये जाते हैं।
3. बीज उत्पादन कार्यक्रम में शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में 75 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम 1 हेक्टेयर तक के लिये आधार/प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है।

4. बीज ग्राम योजना (केन्द्र क्षेत्रीय योजना)

सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल अन्तर्गत बीजग्राम कार्यक्रम में केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत राज्य सहायतित योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य श्रेणी के कृषकों को एक एकड़ बीजोत्पादन कार्यक्रम लेने हेतु अनाज फसलों के बीज पर 50 प्रतिशत तथा दलहनी व तिलहनी फसलों के बीज पर 60 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना में आधार एवं प्रमाणित बीज का उपयोग किया जाता है। कृषक द्वारा उत्पादित बीज का उपयोग स्वयं किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों के बीज उत्पादन की तकनीकी का प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाता है। बीजों का भण्डारण उचित तरीके से करने हेतु भण्डारण कोठी तथा बीजोपचार को बढ़ावा देने हेतु बीज उपचार ड्रम अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते है।

5. राज्य पोषित नलकूप खनन योजना

यह योजना प्रदेश के 48 जिलों मे (क्रांतिक, अर्द्धक्रांतिक एवं अतिदोहित क्षेत्रों को छोड़कर) लागू है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति/जन जाति के कृषकों को सफल–असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 25000/– जो भी कम हो अनुदान देय है। सफल नलकूप खनन पर पंप स्थापना हेतु लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000/– जो भी कम हो अनुदान देय है।

6. मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना

प्रगतिशील किसान नवीन कृषि शोध का प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं लेकर अन्य सम्पर्कित कृषकों तक उन्नत तकनीको को पहुचाएं, इस उद्देश्य से राज्य के बाहर, राज्य के अंदर एवं जिले के अंदर चयनित खेत तीर्थ स्थलों पर एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय पर उन्नत तकनीकी मॉड्यूल्स के अवलोकन के लिये कृषकों का भ्रमण कराया जाता है। तथा प्रगतिशील किसानों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन दिलावाया जाता है।

7. मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना

''मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी मापवा योजना विभाग द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई एवं सम्पूर्ण प्रदेश में योजना का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। योजना के अनुभव को देखते हुये 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भी मापवा योजना को निरंतर चालू रखा गया है।''

कृषि में महिलाओं की भागीदारी का तकनीकी स्वरूप – कृषि में महिलाओं की भागीदारी मापवा योजनांतर्गत विशेष रूप से महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

मापवा योजनांतर्गत महिला कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, स्व–सहायता समूह गठन प्रशिक्षण, जिले के अंदर अध्ययन भ्रमण एवं मानव संसाधन स्टाफ प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है।

8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

सम्मिलित फसलेंः–

खरीफः–

- पटवारी हल्का स्तर– धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, अरहर, बाजरा, मक्का
- तहसील स्तर– मूंगफली, ज्वार, कोदो कुटकी, तिल, कपास
- जिला स्तर– उड़द एवं मूंग

रबी :–

- पटवारी हल्का स्तर – गेहूं सिंचित, गेंहू असिंचित, चना, राई सरसों
- तहसील स्तर– अलसी
- जिला स्तर– मसूर

धान एवं गेहूं के लिये सिंचित एवं असिंचित बीमित क्षेत्र घोषित किये जावेंगे जिसमें फसल कटाई प्रयोग भी पृथक–पृथक होगें ।

योजना में सम्मिलित जोखिम–

- बाधित बुआई/रोपण जोखिम
- खडी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक)
- फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान
- कटाई के उपरांत फसल क्षति
- स्थानीय आपदाऐं

पात्रता :–

- ऋणी किसानों के लिये फसल बीमा योजना आवश्यक होगी ।
- अऋणी किसानों के लिये फसल बीमा योजना वैकल्पिक होगी ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम राशि

क्र.	मौसम	फसलें	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान अंश
1	खरीफ	अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलें	बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो
2	रबी	अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलें	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो
3	खरीफ एवं रबी	वर्षिक नगदी (कपास)/वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो

गतिविधियां

क्र.	गतिविधि	खरीफ	रबी
1	ऋण लेने की अवधि एवं अऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि	1 अप्रैल से 31 जुलाई	15 सितंबर से 31 दिसंबर
2	किसानों के खातों से प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि	1 अप्रैल से 31 जुलाई	15 सितंबर से 31 दिसंबर

क्र.	नियत बीमा कंपनी	संभाग	टोल फी नंबर
1	न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	उज्जैन	18002091415
2	रिलाईन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	उज्जैन	180030024088
3	बजाज एलियांज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	उज्जैन	18002095959
4	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	भोपाल	1800116515
5	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	भोपाल	18001035499
6	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	भोपाल	1800116515
7	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	इन्दौर	18001035499
8	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	ग्वालियर चंबल	1800116515
9	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	जबलपुर	1800118485
10	इफ्को टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	शहडोल, होशंगाबाद	18001035499
11	एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	रीवा, सागर	1800116515

प्रदेश में संचालित प्रमुख केन्द्रीय योजनाएं

9. मृदा स्वास्थ्य पत्रक (मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम)

भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ कार्ड योजनांतर्गत प्रदेश के कृषि जोतधारी कृषकों के खेतों से मिट्टी नमूना एकत्रित कर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण उपरांत निःशुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से मृदा नमूना एकत्रित कर प्रयोगशाला में विश्लेषण उपरांत मृदा में पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर फसल अनुसार पोषक तत्व/उर्वरकों की अनुशंसा के साथ कृषकों को निःशुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में पायलेट आधार पर मॉडल विलेज कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें प्रति विकासखण्ड एक ग्राम चयनित किया जाकर काश्त योग्य प्रत्येक खसरे से मिटटी नमूना एकत्रीकरण कर विश्लेषण, स्वाइल हैल्थ कार्ड वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन एवं कृषि मेला आदि गतिविधियां आयोजित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदेश में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्डवार एक मॉडल ग्राम चयनित किया गया है, इस प्रकार 313 मॉडल विलेज में कार्यक्रम लागू किया गया है।

प्रदेश में वर्तमान में 50 विभागीय प्रयोगशालाएं एवं कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्रों की 28 मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित है, जिनके माध्यम से कृषकों के खेतों से लिए गये मृदा नमूनों का परीक्षण कराया जाकर स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृषकों को विकास खंड स्तर पर मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा 265 नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इनमें से 247 प्रयोगशालाओं में मृदा विश्लेषण कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है।

10. एन.एम.एस.ए. (आर.ए.डी.)

योजना का उद्देश्य :–

- इन्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हुये किसानों की आय में बृद्धि करना।
- सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना।
- प्राकृतिक संसाधनो/एसेट्स के आधार पर स्थान विशेष के ध्यान में रखते हुये धान्य/उद्यानिकी/पशुपालन/मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।

योजना का महत्व :– भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेविल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) वर्ष 2014–15 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों में भूमि एवं जल को संरक्षित कर उसका समुचित उपयोग करना एवं वर्षा आश्रित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन लेना, न्यूट्रीएन्ट मेनेजमेंट, लाइवली हुड, इंट्रीग्रेटेड फॉर्मिंग, स्वाइल–हेल्थ मेनेजमेंट आदि का समावेश किया गया है।

भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन के माध्यम से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मिशन अन्तर्गत कृषि विभाग के साथ–साथ उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों को क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से क्रियान्वित कर प्रति हेक्टेयर उत्पादन/उत्पादकता में बृद्धि करने के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार करने का प्रावधान है।

योजना का कार्यक्षेत्र :– संपूर्ण मध्यप्रदेश।

योजनान्तर्गत किसानों के लिए प्रावधान–एक परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर/वित्तीय रू. 1.00 लाख तक के लिये सहायता दी जा सकेगी।

योजना में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाने पर राशि रू. 10000/– से 40000/– तक अनुदान प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।

11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्राप मोर क्राप" (माइक्रोइरीगेशन)

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2016–17 से लागू है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में ग्राम स्तर तक सिंचाई क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर हर खेत को पानी पहुंचाना तथा उपलब्ध जल का उचित प्रबंध कर "पर ड्राप मोर क्राप" के लक्ष्य को प्राप्त करना है। "पर ड्राप मोर क्राप" घटक के अंतर्गत दार दो उप घटक है।

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्राप मोर क्राप" (माइक्रोइरीगेशन) योजना के अंतर्गत स्प्रिंकर, ड्रिप एवं रेनगन पर समस्त वर्ग के लघु/सीमांत वर्ग के कृषकों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं समस्त वर्ग के अन्य अन्य कृषकों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्राप मोर क्राप" अदर इन्टरवेनशन योजना के अंतर्गत डीजल/विद्युत पंप पर समस्त वर्ग के कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम या अधिकतम रू. 10,000/– जो भी कम हो अनुदान देय है।

12. नेशनल मिशन फार सस्टेनेवल एग्रीकल्चर (एस.एम.ए.एफ.)

➢ **योजना का उद्देश्य :–**

- इन्टीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाते हुये किसानों की आय में बृद्धि करना।
- सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना।
- प्राकृतिक संसाधनो/एसेट्स के आधार पर स्थान विशेष के ध्यान में रखते हुये वानिकी पौधों का रोपण को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण परिवारों विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों को आजीविका एवं आय का सृजन के अवसर प्रदान करना।

➢ **योजना का महत्व** सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री के माध्यम से कृषि फसलों के साथ–साथ वृक्षों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि, समन्वित/मिश्रित खेती को उचित बढ़ावा देने के लक्ष्य की प्राप्ति करना।

➢ **योजना का कार्य क्षेत्र** संपूर्ण मध्यप्रदेश।

➢ **योजनान्तर्गत किसानों के लिए अनुदान एवं सुविधाएं :–** योजनान्तर्गत नर्सरी स्थापना हेतु राशि रू. 10 से 40 लाख एवं पौध रोपण हेतु बाउन्ड्री प्लांटेशन पर राशि रू. 35 पर पौधा, लोडेन्सिटी प्लांटेशन पर 100 से 500 पौध रोपण पर राशि रू. 14000 प्रति हेक्टेयर तक एवं हाई डेन्सिटी प्लांटेशन पर 500 से 1500 प्लांटेशन पर राशि रू. 5000 से 22500 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

वर्ष 2007–08 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 6 घटक हैं :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–धान)
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–गेहूं)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–दलहन एवं TRFA)
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–मोटा अनाज– मक्का, एवं जौ)
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–न्यूट्रीसीरियल– बाजरा, ज्वार एवं लघु अनाज)
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.–नगदी फसलें – गन्ना एवं Pulse with Sugarcane intercropping

मिशन के मुख्य उद्देश्य राज्य के अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत् रीति से उत्पादकता वर्धन के माध्यम से धान, गेहूं दलहनों, मोटा अनाज, न्यूट्रिसिरियल और गन्ना के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करना, मृदा उर्वरता और उत्पादकता का संरक्षण करना, रोजगार अवसरों का सृजन, प्रक्षेत्र पर आर्थिक लाभ बढ़ाना ताकि किसानो में आत्म विश्वास पैदा हो सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के नाम से भारत सरकार का 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 प्रतिशत अंश से योजना का क्रियान्वयन राज्य के 51 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दलहन 51 जिलों, धान 08 जिलों, गेहूँ 16 जिलों, मोटा अनाज (मक्का,जौ) 22 जिलों, न्यूट्रीसीरियल (ज्वार, बाजरा, कोदो–कुटकी) 24 जिलों व्यवसायिक फसलें (गन्ना 13 जिलों दलहन के साथ गन्ना फसल 06 जिलों एवं TRFA 17 जिलों) फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना है । योजना के अंतर्गत सभी वर्गो के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी रखी गई है। इसमे योजना का लगभग 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति हेतु हिस्सेदारी रखी गई है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 30 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसानों के लिये उपलब्ध सुविधाएं

घटक	योजना फसल	इकाई	अनुदान प्रावधान	लाभावित हितग्राही
फसल प्रदर्शन	दलहन, धान, गेहूँ, TRFA	हे	15000 एवं 9000 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
	मोटा अनाज	हे	6000 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
	गन्ना	हे	9000 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
	दलहन के साथ गन्ना फसल	हे	8000, 9000 एवं 10000 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
बीज वितरण अनुदान	दलहन, TRFA (प्रमाणित बीज)	क्विं	10 वर्ष से कम 5000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 2500 प्रति क्विं	समस्त वर्ग के कृषक
	धान (संकरबीज/अधिक उत्पादन वाली किस्में)	क्विं	10000 प्रति क्विं /10 वर्ष से कम 2000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1000 प्रति क्विं	समस्त वर्ग के कृषक
	गेहूँ (प्रमाणित बीज)	क्विं	10 वर्ष से कम 2000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1000 प्रति क्विं	समस्त वर्ग के कृषक
	मोटा अनाज (संकरबीज किस्मे /अधिक उत्पादन वाली किस्में)	क्विं	10000 प्रति क्विं /10 वर्ष से कम 3000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1500 प्रति क्विं	समस्त वर्ग के कृषक
	न्यूट्रीसीरियल (संकरबीज किस्म/ अधिक उत्पादन वाली किस्में)		10000 प्रति क्विं /10 वर्ष से कम 3000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1500 प्रति क्विं	समस्त वर्ग के कृषक
बीज उत्पादन अनुदान	दलहन (प्रमाणित बीज)	क्विं	10 वर्ष से कम 5000 प्रति क्विं	समस्त वर्ग के कृषक
सिंचाई यंत्र				
स्प्रिंकलर	दलहन, गेहूँ, न्यूट्रीसीरियल	संख्या	19542 से 21901 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
पाईप लाईन	दलहन, गेहूँ, धान	संख्या	15000 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
पंप सेट	दलहन, गेहूँ, धान	संख्या	10000 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक
रेन गन	दलहन, गेहूँ	संख्या	26681 से 34513 प्रति हे.	समस्त वर्ग के कृषक

घटक	योजना फसल	इकाई	अनुदान प्रावधान	लाभावित हितग्राही
कृषि यंत्र				
मेनुअल स्प्रेयर	दलहन, गेहूँ, धान, न्यूट्रीसीरियल,TRFA	संख्या	750/600 रु अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कृषक हेतु 50 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य कृषकों हेतु 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा
रोटावेटर	दलहन	संख्या	44800/35800 रु अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो	
जीरो टिल सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल	दलहन	संख्या	24100/19300 रु अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो	
मल्टीक्राप थेसर	दलहन, धान	संख्या	100000/80000 रु अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो	
सीड ड्रिल	दलहन, गेहूँ	संख्या	20000/16000 रु अथवा 50 प्रतिशत जो भी कम हो	
प्रशिक्षण				
	दलहन, गेहूँ, धान		14000 रु (3500 प्रति सेशन)	समस्त वर्ग के कृषक
	गन्ना		40000 रु	समस्त वर्ग के कृषक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

क्र.	घटक	योजना फसल	इकाई	अनुदान प्रावधान	अधिकतम अनुदान प्रावधान (प्रति कृषक)	डीबीटी का प्रकार
1	फसल प्रदर्शन	दलहन, धान, गेहूँ	हे.	15000 एवं 9000 प्रति हे.	2 हे. की सीमा तक राशि 25000 एवं 15000 रु.	फसल प्रदर्शन में बीज को छोड़कर शेष घटकों में अनुदान की राशि किसान के खाते में जमा की जा रही है। (Cash DBT) फसल प्रदर्शन में बीज सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय कराया जा रहा है। अनुदान राशि सहकारी संस्थाओं को प्रदाय की जा रही है। (Kind DBT)
		मोटा अनाज	हे	6000 प्रति हे.	2 हे. की सीमा तक राशि 10000 रु.	
		गन्ना	हे	9000 प्रति हे.	2 हे. की सीमा तक राशि 16000 रु.	
		कपास	हे	8000, 9000 एवं 10000 प्रति हे.	2 हे. की सीमा तक राशि 14000, 16000 एवं 18000 रु.	
2	बीज वितरण अनुदान	दलहन (प्रमाणित बीज)	क्विं	10 वर्ष से कम 5000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 2500 प्रति क्विं	2 हे. की सीमा तक राशि 5000 रु.	इन घटकों में अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा की जा रही है। (Cash DBT)
		धान (संकरबीज/अधिक उत्पादन वाली किस्में)	क्विं	10000 प्रति क्विं /10 वर्ष से कम 2000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1000 प्रति क्विं	2 हे. की सीमा तक राशि 10000 /2000 रु.	
		गेहूँ (प्रमाणित बीज)	क्विं	10 वर्ष से कम 2000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1000 प्रति क्विं	2 हे. की सीमा तक राशि 2000 रु.	
		मोटा अनाज (संकरबीज किस्मे/अधिक उत्पादन वाली किस्में)	क्विं	10000 प्रति क्विं /10 वर्ष से कम 3000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1500 प्रति क्विं	2 हे. की सीमा तक राशि 10000 /3000 रु.	
		न्यूट्रीसिरियल (संकरबीज किस्म/अधिक उत्पादन वाली किस्में)	क्विं	10000 प्रति क्विं /10 वर्ष से कम 3000 प्रति क्विं 10 वर्ष से अधिक 1500 प्रति क्विं		
3	बीज उत्पादन अनुदान	दलहन (प्रमाणित बीज)	क्विं	10 वर्ष से कम 5000 प्रति क्विं	2 हे. की सीमा तक राशि 5000 रुपयें	इन घटकों में अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा की जा रही है। (Cash DBT)

क्र.	घटक	योजना फसल	इकाई	अनुदान प्रावधान	अधिकतम अनुदान प्रावधान (प्रति कृषक)	डीबीटी का प्रकार
4	सिंचाई यंत्र					
	स्प्रिंकलर	दलहन, गेहूँ, न्यूट्रिसिरियल, स्प्रेपंप	संख्या	10000 प्रति हे.	1 हे. की सीमा तक राशि 10000 रु.	ई–कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से कृषकों को सिंचाई यंत्र उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे है। इसमें जिन कृषकों द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा कर कृषि यंत्र प्राप्त किये जा रहे है। अनुदान राशि किसान के खाते में जमा की जा रही है। जिन कृषकों द्वारा डीलर के माध्यम से अनुदान की राशि को छोड़कर शेष राशि जमा कर सिंचाई यंत्र प्राप्त किये जा रहे है उनके अनुदान का भुगतान संबंधित कम्पनी के निर्माता को प्रदाय किया जा रहा है। (Cash/ Kind DBT)
	पाईप लाईन	दलहन, गेहूँ, धान	संख्या	15000 प्रति हे.	1 हे. की सीमा तक राशि 15000 रु.	
	पंप सेट	दलहन, गेहूँ, धान	संख्या	10000 प्रति हे.	1 हे. की सीमा तक राशि 10000 रु.	
	रेन गन	दलहन	संख्या	15000 प्रति हे.	1 हे. की सीमा तक राशि 15000 रु.	

14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड एवं ऑयल पॉम (एनएफएसएम तिलहन)

भारत सरकार कृषि एवं कृषि विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड एवं ऑयल पॉम (एनएफएसएम तिलहन) वर्ष 2018–19 से भारत सरकार का 60 प्रतिशत एवं राज्य का 40 प्रतिशत हिस्सेदारी से प्रदेश के समस्त 51 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। मिशन का मुख्य उद्देश्य तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

प्रदेश में तिलहन के अंतर्गत आने वाली फसलों के क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, करना, योजना का मुख्य उद्देश्य है। तिलहन की प्रदेश की मांग को द्वष्टिगत रखते हुये इसमें आत्म निर्भर बनाना तथा लघु एवं सीमान्त अ.जा./अ.ज.जा./महिला कृषकों को इन फसलों के माध्यम से कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कराना है। इस येाजना के प्रमुख घटक निम्नानुसार लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाता है :–

<table>
<tr><th>क्र</th><th>कम्पोनेंट/घटक</th><th>ईकाई</th><th>अनुदान प्रावधान / पात्र हितग्राही</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रजनक बीज खरीदी</td><td>क्विं.</td><td>प्रजनक बीज भारत सरकार कृषि मंत्रालय के बीज डिवीजन के द्वारा निर्धारित मूल्य का 100 प्रतिशत राशि प्रावधान है ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आधार बीज उत्पादन</td><td>क्विं.</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू0 2500/– प्रति क्विं0 10 वर्ष तक की प्रजाति हेतु अनुदान का प्रावधान है ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रमाणित बीज उत्पादन</td><td>क्विं.</td><td>50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू0 2500/– प्रति क्विं0 10 वर्ष तक की प्रजाति हेतु अनुदान का प्रावधान है ।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रमाणित बीज वितरण</td><td>क्विं.</td><td>50 प्रतिशत या निर्धारित मुल्य राशि रू. 4000/– प्रति क्विंटल तिलहन हेतु जो कि 15 वर्षो के अन्दर की प्रजातियों के लिये।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>हाईब्रिड बीज वितरण</td><td>क्विं.</td><td>50 प्रतिशत या निर्धारित मुल्य राशि रू. 8000/– प्रति क्विंटल तिलहन हेतु जो कि 15 वर्षो के अन्दर की प्रजातियों के लिये।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ब्लॉक प्रदर्शन</td><td>हैक्टे.</td><td>एक कृषक को प्रदर्शन हेतु एक हैक्टेयर की सीमा निर्धारित है । जिसमें आदान सामग्री का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये निम्नानुसार फसलों के लिए देय है।
<table>
<tr><th>फसल</th><th>अनुदान राशि रूपये</th></tr>
<tr><td>मुंगफली</td><td>10000/–</td></tr>
<tr><td>सोयाबीन</td><td>6000/–</td></tr>
<tr><td>राई/सरसों</td><td>3000/–</td></tr>
<tr><td>तिल/रामतिल</td><td>3000/–</td></tr>
<tr><td>अलसी</td><td>3000/–</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)</td><td>संख्या</td><td>राशि रू0 26700/– प्रति फार्म फील्ड स्कुल प्रति प्रदर्शन प्रशिक्षण सामग्री, आईपीएम सामग्री, साहित्य और अन्य आकस्मिक आदि व्यय के लिये</td></tr>
<tr><td>9</td><td>कृषक प्रशिक्षण</td><td>संख्या</td><td>राशि रू0 24000/– प्रति प्रशिक्षण, 30 प्रशिक्षणार्थी, 2 दिवस हेतु 400 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिये</td></tr>
<tr><td>10</td><td>अधिकारी प्रशिक्षण</td><td>संख्या</td><td>राशि रू0 36000/– प्रति प्रशिक्षण, 20 अधिकारी 2 दिवसीय राशि रूपये 900 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन</td></tr>
<tr><td>11</td><td>जिप्सम/पायराईड/ का वितरण ।</td><td>हैक्टे.</td><td>मूल्य का 50 प्रतिशत सामग्री एवं वाहन भाडा अधिकतम राशि रू0 750 प्रति हेक्टेयर जो कम हो,</td></tr>
<tr><td>12</td><td>पौध संरक्षण रसायन</td><td>हैक्टे.</td><td>मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 500 प्रति हेक्टयर पौध संरक्षण रसायन आवश्यकता के आधार पर कीट नाशक फफूंद नाशक नीदा नाशक बायोपेस्टीसाईड्स, बायो एजेन्ट्स, सूक्ष्म तत्व एवं बायो फर्टीलाईजर्स आदि.</td></tr>
</table>

क्र	कम्पोनेंट / घटक	ईकाई	अनुदान प्रावधान / पात्र हितग्राही
13	राईजोवीयम कल्चर / पी. एस.वी. / जेड.एस.वी. वितरण	हैक्टे.	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा राशि रू. 300 / – प्रति हेक्टयेर चूर्ण,कर्ण एवं तरल रूप में दिया जाना है ।
14	न्यूक्लीयर पॉली हाईड्रोसिस वायरस (एन.पी.वी.)	हैक्टे.	मूल्य का 50 प्रतिशत राशि रू0 500 / – प्रति हेक्टेयर
15	पौध संरक्षण यंत्र हस्त चलित	संख्या	नेपसेक / फुट आपरेटेड स्प्रेयर मुल्य का @ 40 प्रतिशत एवं अधिकतम सीमा राशि रू 600 / – प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघुसीमांत कृषको / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशि रू 800 / – प्रति यंत्र)
16	पावर स्प्रेयर	संख्या	नेपसेक पावर स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर से उपर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा राशि रू0 8000 प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति / अन.जनजाति / लघु / सीमान्त कृषकों / महिला ग्रुप 5 सदस्य के लिये अधिकतम सीमा राशि रू 10.000 / – प्रति यंत्र)
17	उन्नत कृषि यंत्र की पूर्ति हस्त चलित	संख्या	हस्तचलित / बैल चलित मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 8000 / – प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति / अन.जनजाति / लघु / सीमान्त कृषकों / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशि रू 10.000 / – प्रति यंत्र)
18	ट्रेक्टर चलित / यंत्र	संख्या	ट्रेक्टर चलित रोटावेटर / सीड ड्रिल / जीरो टील सीड ड्रिल / मल्टीक्रॉप प्लान्टर / जीरो टील मल्टीक्रॉप प्लान्टर / रीजफरो प्लान्टर / रेजवेज प्लान्टर / पावर वीडर / ग्राउण्डनट डीगर एवं मल्टीक्राप थ्रेशर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रू0 50000 / – प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति / अन.जनजाति / लघु / सीमान्त कृषको / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशि रू 63000 / – प्रति यंत्र)
19	स्प्रिंकलर सेट का वितरण	संख्या	21901 / – युनिट कास्ट अनुसार लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है
20	पाईप लाईन	संख्या	मूल्य का 50 प्रतिशत या राशि रू0 15000 / – जो भी कम हो एचडीपी रू0 50 / – पीवीसी रू0 35 / – एवं एचडीपीइ लेमिनेटेड रू0 20 / – प्रति मीटर अनुदान का प्रावधान है।

15. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –रफ्तार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 2019–20 में निम्नानुसार हितग्राही मूलक प्रोजेक्ट स्वीकृत है–

योजनांतर्गत किसानों के लिये प्रावधान–अनुदान एवं सुविधाएं

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	प्रोजेक्ट का नाम	लागत	अनुदान पैटर्न	अन्य विवरण
1.	Hybrid Maize	2000.00	50 प्रतिशत	लक्ष्य 25000 क्विंटल केवल एस.टी. ब्लाक हेतु 20 जिलों के 89 विकासखण्ड क्षेत्राच्छादन–402500 हेक्टेयर
2.	Project for the Procurement of Breeder seed	1715.540	100 प्रतिशत	प्रजनक बीज की लागत का वास्तविक मूल्य
3.	SRI	3335.04	100 प्रतिशत	दर रूपये 96500 प्रति हेक्टेयर या 38600 प्रति 0.4 हेक्टेयर लक्ष्य – नर्सरी क्षेत्र 3456 हेक्टेयर क्षेत्राच्छादन – 207360 हेक्टे. नर्सरी के घटक– बीज, भूमि की तैयारी, बीज उपचार, वर्मी कम्पोस्ट, इंटर कल्चर आपरेशन
4.	Advance Tranning	285.00	400 प्रति दिवस प्रति किसान	लक्ष्य – 14250 लाभान्वित होने वाले कृषक प्रशिक्षण – 475

16. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम)

केन्द्र परिवर्तित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश के किसानों एवं उद्यमियों के लिये क्रियांवित है। जिसके अन्तर्गत विशेष यंत्रों/उपकरणों का किसानों के खेतों में जीवंत प्रदर्शन किया जाता है साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों में यंत्रों की उपयोगिता एवं उनके उपयोग की विधि का व्यवाहरिक ज्ञानवर्धन करना मुख्य उद्देश्य है। किसानों को उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान है। फसल कटाई उपरांत कार्यो के लिये उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रो एवं उपकरणों को भी इसमे सम्मिलित किया गया है। योजना के अंतर्गत इच्छुक हितग्राहियों तथा उद्यमियों/संस्थाओं को कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा हाई–टेक हब स्थापित कराने हेतु अनुदान का प्रावधान है।

डी.बी.टी ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल द्वारा किसानों को उनके बैक खातों में सीधे अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान ऑनलाइन वेबसाइट www.dbt.mpdage.org ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर सम्मिलित कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरण जैसे ट्रेक्टर एवं पावर टिलर तथा सभी प्रकार के शक्ति चलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र आदि हैं।

17. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्ही.वाय.)

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय) वर्ष 2015–16 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच, पी.जी.एस. सर्टिफिकेशन के माध्यम से जैविक खेती का प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षित कृषि को बढावा देना, पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना है।

योजनांतर्गत कृषक/एल.आर.पी. प्रशिक्षण, किसानों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, एक्सपोजर विजिट, मृदा नमूना संग्रहण/परीक्षण, किसानों के लिये फील्ड का निरीक्षण, नमूना का रेसीड्यूल विश्लेषण, प्रमाणीकरण चार्ज, भूमि का जैविक परिवर्तन, बायोलॉजीकल फसल रोपण, तरल जैव पैस्टिसाइड हेतु सहायता, नीम केक/नीम तेल का उपयोग, कृषि यंत्रों का उपयोग, पैकिंग मटेरियल आदि पर सहायता, जैविक उत्पाद का ट्रान्सपोर्टेशन एवं आर्गेनिक फेयर का आयोजन किया जाता है।

18. भारत सरकार सहायतित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) ''आत्मा''

विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढीकरण को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2005–06 से नवीन योजना विस्तार सुधार कार्यक्रम "आत्मा" लागू की गई थी जो, कि 12वी पंचवर्षीय योजना में निरंतर है। वर्ष 2014–15 से यह योजना भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड़ टेक्नॉलाजी (NMAET) के "सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा" के नाम से लागू हैं। जिला स्तर पर आत्मा गवर्निंग गोर्ड एवं आत्मा मेनेजमेंट कमेटी का गठन, "फर्म्स एण्ड सोसायटी एक्ट अंतर्गत पंजीयन किया गया है।

"नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं टैक्नालाजी (नामेट) का सब मिशन होगा। इसके अतिरिक्त नामेट के चार सब मिशन निम्नानुसार है :–

1. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन "आत्मा"
2. सब मिशन ओन सीड्स एवं प्लाटिंग मटेरियल
3. सब मिशन ओन एग्रीकल्चर मेकेनिज्म
4. सब मिशन ओन प्लांट प्रोटेक्शन

सूचना प्रोद्यौगिकी से जुड़े समस्त पहलू एवं अन्य योजनायें जैसे ए.सी.,ए.बी.सी., देसी, किसान काल सेन्टर मेनेज हैदराबाद द्वारा प्रवर्तित मानव संसाधन विकास एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मॉडल ट्रेनिंग कोर्सेस, प्रक्षेत्र सूचनायें, (मेला प्रदर्शनी आदि) SMAE का भाग है। ''आत्मा'' योजना अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी, प्रदर्शन, फार्म स्कूल, कलाजत्था के माध्यम से किसानों तक कृषि की नवीनतम तकनीकी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। योजना अंतर्गत कृषकों को विकासखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।

कृषक मित्र का पुनः चयन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। चयनित कृषक "कृषक बन्धु" का कार्य करेंगे।

नवाचार गतिविधियों में एजोला उत्पादन, मशरूम उत्पादन, सहजन उत्पादन, श्री पद्धति से गेहूँ, धान एवं सरसों की खेती, मधुमक्खी पालन, प्लास्टिक मल्चिंग, हायब्रिड नेपियर घास, रेशम विभाग द्वारा सर्विस प्रोवाइडर की मदद से रेशम उत्पादन का कार्य, धान में नील हरित शैवाल का प्रयोग, नेट शेड हाऊस, फसल में रिज एण्ड फरो मेथड, स्वीट कार्न उत्पादन, गन्ने के साथ मसाला फसलों का उत्पादन एवं हाइड्रोपोनिक विधि से पशु चारे का उत्पादन किया गया।

आत्मा योजना के साथ–साथ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रचार प्रसार समस्त 51 जिलों द्वारा किया जा रहा है।